रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102024-258077
CG-DL-E-19102024-258077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4206]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946
No. 4206]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4572(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नालसरोवर पक्षी अभयारण्य, गुजरात के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1812(अ), तारीख 07 जून, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1812(अ), तारीख 07 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय

की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1812(अ), तारीख 07 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – (1) केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(1)	कलेक्टर, सुरेंद्रनगर	अध्यक्ष, पदेन;
(2)	कलेक्टर, अहमदाबाद के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(3)	क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(4)	पर्यावरण या वन्य जीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे गुजरात सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(5)	किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या पक्षीविज्ञान या वन्य जीव के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को गुजरात राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(6)	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(7)	केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिम मध्य क्षेत्र, गुजरात से भूजल जल विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य, पदेन;
(8)	उप वन संरक्षक, (नलसरोवर पक्षी अभयारण्य के प्रभारी)।	सदस्य सचिव, पदेन।

6. **मानीटरी समिति के कार्य:-** (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक स्थितियों के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों, उपबंधों और इस अधिसूचना के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में आने वाले के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए यथास्थिति केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी मे यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची समाघात निर्धारण के अधीन ऐसे क्रियाकलापों जिन्हे सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं की स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक स्थितियों पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य सचिव या सम्बद्ध कलेक्टर या सम्बद्ध उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबंद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधि या संबद्ध पणधारियों को विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में, उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे"।

[फा. सं. 25/89/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.-- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 07 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1812 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2024

S.O. 4572(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Nalsarovar Bird Sanctuary, Gujarat in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1812 (E), dated the 07th June, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1812 (E), dated the 07th June, 2017;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1812 (E), dated the 07th June, 2017, namely:-

In the said notification, For paragraph 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"5. Monitoring Committee. – (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(1)	Collector, Surendranagar	Chairman, ex officio;
(2)	Representative of Collector, Ahmedabad	Member, ex officio;
(3)	Regional officer, Gujarat State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(4)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Gujarat for a period of three years	Member;
(5)	One expert in the area of ecology or ornithology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the State Government of Gujarat for a period of three years	Member;
(6)	Member, Gujarat State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(7)	One expert in the field of groundwater hydrology from the Central Ground Water Board, West Central Region, Gujarat	Member, ex officio;

(8)	Deputy Conservator of Forests, (Incharge of the Nalsarovar Bird Sanctuary	Member, ex officio Secretary;

6. Functions of the Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in **Annexure-V**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/89/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.– The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1812(E), dated the 07th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.19 16:02:42 +05'30'